बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/88/भू.अ./वन अधि/2013.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 को उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बिलासपुर के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

				•			
स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(A)	अदराली	106.405	उत्तर—वनक्षेत्र दक्षिण—वनक्षेत्र पूर्व—ग्राम निरत् पश्चिम—वनक्षेत्र	11	निरत्	मस्तूरी	बिलासपुर

Bilaspur, the 10th January 2014



NOTIFICATION

No. 88/L.R./F.R./2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Bilaspur under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Aadrali	106.405	North—Forest Area South—Forest Area East—Village Nirtu West—Forest Area	11	Nirtu	Masturi	Bilaspur

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/88/भू.अ./वन अधि/2013.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बिलासपुर के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) को धारा 73 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तह सील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E	भरूवाडीह	63.647	उत्तरवनक्षेत्र दक्षिण—वनक्षेत्र पूर्व—वनक्षेत्र पश्चिम—ग्राम खैरवारपा बम्हनीकला	05 रा,	ठरकपुर	मस्तूरी	बिलासपुर

Bilaspur, the 10th January 2014

NOTIFICATION



No. 88/L.R./F.R./2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Bilaspur under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Bharuwadih	63.647	North—Forest Area South—Forest Area East—Forest Area West—Village Kherwarpar Bamhanikala	05 ra,	Tharakpur	Masturi	Bilaspur

रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन बंदोबस्त अधिकारी.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसचना

क्रमांक/88/भू.अ./वन अधि/2013.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बिलासप्र के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का घठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदृद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :--

. सं. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4) ·	(5)	(6)	(7)	(8)



114.503

उत्तर—वनक्षेत्र दक्षिण--वनक्षेत्र 09

खोधरा

भस्तरो

बिलासपर

पूर्व--वनक्षेत्र

पश्चिम-वनक्षेत्र

Bilaspur, the 10th January 2014

NOTIFICATION

No. 88/L.R./F.R./2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Bilaspur under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned;

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka	Name of Gram	Tahsil	District	Notifica
(1)	(2)	(3)	(4)	Number (5)	Panchayat (6)	(7)	(8)	
2.	Kanai	114.503	North—Forest Area South—Forest Area East—Forest Area West—Forest Area	09	Khondhara	Masturi	Bilaspur	-

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

बिलासपुर जिला

क्रमांक 39]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2014—माघ 2, शक 1935

2

कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक/88/भू.अ./वन अधि/2013.—यत: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप~धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बिलासपुर के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान की गई है.

और यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
<u>(1)</u>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	मानपुर	113.178	उत्तर—वनक्षेत्र दक्षिण—वनक्षेत्र पूर्व—ग्राम पीपरखुटी पश्चिम—वनक्षेत्र	23	दवनपुर	कोटा	बिलासपुर

Bilaspur, the 10th January 2014

NOTIFICATION

No. 88/L.R./F.R./2013.—Whereas, the forest villages shown in Schedule below have been provided the recognition of forest rights relating to modification as revenue village by the Forest Rights Committee Bilaspur under the provision of clause (h) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dewllers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);

And Whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the powers of settlement officers relating to Constitution of revenue village have been vested in the undersigned; (the Distance Officers)

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that forest village shown in column (2) of schedule below shall be revenue village, from the date of this notification, namely:—

S. No.	Name of forest village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Manpur	113.178	North—Forest Area South—Forest Area East—Village Peoperkhuti West—Forest Area	23	Dawanpur	Kota	Bilaspur